कलेक्टर एवं पदेन मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग जिला दमोह (म.प्र.)

क्रं. भू.अ./11/2021 दमोह दिनॉक 30/12/2021

....

सार्वजनिक सूचना

राज्य शासन के विभिन्न–विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जानी वाली अधो सरंचनाओं के लिये समय–समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पढ़ती है। म.प्र. शासन राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमाक 12.02.2014 /सात/ए/ भोपाल दिनॉक 12.11.2014 (म.प्र. राज्यपत्र दिनॉक 14.11.2014) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निजी भू–धारकों की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति 2014 जारी की गयी है।

इस नीति के अतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के द्वारा ग्राम इमलिया घाट तहसील दमोह कि भूमि का भू अर्जन किया जाना है जिसका विवरण निम्नानुसार है, तथा इसके भू स्वामी /भू–स्वामियों द्वारा नीति की कंडिका –10 के अतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रपत्र (ख) में सहमति प्रस्तुत की गई है। आपसी सहमति से भूमि कय नीति की कंडिका ।(1) के अतंगर्त भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जाने पर विचार किया जा रहा है, यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के 15 दिवस की अवधि के भीतर के आधार सहित अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न ही स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से क्रय की जाने वाली भूमि का विवरण :–

जिला दमोह तहसील दमोह प.ह.नं.83 ग्राम इमलिया घाट क्षेत्रफल –0.08हे.

क्रं	भूमि स्वामी का नाम पिता /पति का नाम	खसरा नं.	कुल रकवा (हेक्टे.में)	अर्जित रकवा (हेक्टे.में)	अन्य संपति
1.	शुभम पिता रज्जू दुबे साकिन–देह इमलियाघाट तहसील दमोह	774/2	0.72	0.08	—
	योग	—	0.72	0.08	—

म.प्र. के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार :–

(एस. कृष्ण चैतन्य)
कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव
म.प्र. शासन राजस्व विभाग जिला
दमोह (म.प्र.)

प्र0 क्रं. 4886 /भू अर्जन / 2021–22 दमोह दिनॉक 31/12/21

1. नियंत्रक मुदण एवं लेखन सामग्री म.प्र. भोपाल की ओर राजपत्र भाग–(1) में प्रकाशनार्थ उपरान्त राजपत्र की–(02) प्रतियों इस कार्यालय में भिजवाने का कष्ट करें।
2. संचालक सूचना तथा प्रकाशन एवं जनसम्पर्क विभाग म.प्र. वाण गंगाा टैगोर मार्ग रोशन पुरा भोपाल की ओर नियमानुसार दो स्थानीय समाचार पत्रों मे प्रकाशन कराकर प्रकाशन की सूचना इस कार्यालय मे एक–एक प्रति मे भेजकर अवगत कराने हेतु संप्रेषित ।
3. कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर की ओर सूचानर्थ प्रकाशन की प्रतियों उपलब्ध करावें ।
4. तहसील दमोह की ओर सूचनार्थ/एवं संबधित ग्राम पंचायत मे चस्पा कराकर एक प्रति कार्यालय को वापिस करें।
5. एन. आई. सी. दमोह की ओर प्रकाशनार्थ प्रेषित् ।

म.प्र. के राज्यपाल के नाम तथा आदेशानुसार

(एस. कृष्ण चैतन्य)
कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव
म.प्र. शासन राजस्व विभाग जिला
दमोह (म.प्र.)